

कार्यालय

जिलाधिकारी

बुलन्दशहर

दिनांक: 12 सितम्बर, 2013

कार्यालय ज्ञाप

जिलाधिकारी महोदय, के आदेश दिनांक 10.09.2013 द्वारा अवैध खनन एवं परिवहन की रोकथाम हेतु तहसील स्तरीय उप समिति का गठन किया गया है, जो निम्नप्रकार है—

1—	उप जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2—	क्षेत्राधिकारी, पुलिस	सचिव
3—	तहसीलदार	सदस्य सचिव
4—	संबंधित नायब तहसीलदार	सदस्य
5—	संबंधित थानाध्यक्ष	सदस्य

उपरोक्त समिति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अवैध खनन को रोकने हेतु आपसी सांमजस्य स्थापित करते हुए प्रभावी कार्यवाही करे तथा अधिक से अधिक प्रवर्तन की कार्यवाही करे। साथ ही प्रवर्तन कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा करते कृत कार्यवाही की आख्या से साप्ताहान्त में अवगत करायें।

Arsh
(आर0के0 सिंह)

अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)

बुलन्दशहर।

संख्या: 884/खनन लिपिक

दिनांक: 12 सितम्बर, 2013

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- 1— जिलाधिकारी महोदय, बुलन्दशहर को सादर सूचनार्थ।
- 2— वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर को सादर सूचनार्थ।
- 3— समस्त संबंधित अधिकारीगण को अनुपालनार्थ।

Arsh
अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)

बुलन्दशहर।